दिनांक : 05 फरवरी, 2014

क्या प्रधानमंत्री ने कोलेजियम को खत्म कर दिया है ?

-अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

बहुत से सार्वजनिक पदों के लिए नियुक्तियां करते समय यह उम्मीद की जाती है कि उनमें किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा। सरकार एक राजनैतिक संस्था है। सरकार में राजनैतिक प्रशासकों द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं वह विश्वास पैदा करने में विफल रहती हैं। इसी वजह से अनेक नियुक्तियों के संबंध में अधिशासी मंडल या कोलेजियम (समान ओहदा और अधिकार प्राप्त अधिकारियों के समूह) की व्यवस्था की गई। इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सीआईसी और सूचना आयुक्त तथा अब लोकपाल के चैयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति एक कोलेजियम द्वारा की जानी है। इनमें से प्रत्येक नियुक्तियों के लिए कोलेजियम अलग–अलग प्रकार से गठित किए गए हैं। लोक सभा में विपक्ष का नेता प्रत्येक नियुक्ति से जुड़ा होता है। यहां तक एनएचआरसी के लिए राज्य सभा में विपक्ष का नेता भी कोलेजियम का सदस्य होता है।

चूंकि प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए अब समय आ गया है कि जब वे कोलेजियम व्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने जो कुछ किया उसके बारे में आत्म मंथन करें। उन्होंने स्पष्टवादिता का मुलम्मा चढ़ाया लेकिन वह बहुत अधिक राजनैतिक रहे। एनडीए शासनकाल में जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय केवल एक अवसर आया था जब एक नियुक्ति पर दो नेता विपक्ष ने असहमति व्यक्त की थी। श्रीमती सोनिया गांधी और डा. मनमोहन सिंह ने एनडीए द्वारा नियुक्त एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति से असहमति जताई थी। निश्चित ही एनएचआरसी के अध्यक्ष के रुप में न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की नियुक्ति पर अपने नेता के साथ आपत्ति उठाना डा. सिंह के लिए शर्मिंदा करने वाली बात थी। उस समय इस पद के लिए न्यायमूर्ति वर्मा से बेहतर और कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता था। उनकी असहमति राजनैतिक बदले से प्रेरित थी।

प्रधानमंत्री के रुप में वह सीवीसी के रुप में एक खराब छवि वाले व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहते थे। मेरी सहयोगी और लोक सभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस पर असहमति व्यक्त की। उनकी असहमति को स्वीकार करते हुए सीवीसी की नियुक्ति को अमान्य कर दिया गया।

हांलाकि लोकपाल कानून में चार सदस्यों को पांचवे सदस्य की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, चार सदस्यों का अधिकार समिति के सात सदस्यों का चयन करने के लिए सीमित कर दिया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन के पदाधिकारी जाने माने विधिवेत्ता श्री मोहन गोपाल को शामिल किया गया है। श्रीमती स्वराज ने सुझाव दिया था कि उपलब्ध जाने–माने विधिवेत्ताओं में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री फली एस. नारीमन, श्री सोली सोराबती, श्री के. पारासरन और श्री हरीश साल्वे के नामों का सुझाव दिया था। श्रीमती

स्वराज न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचेलैया और श्री के. के. वेणुगोपाल के नाम पर भी सहमत सकती थीं। प्रधानमंत्री ने मन बना लिया था कि केवल श्री पी. पी. राव के नाम पर ही विचार किया जाएगा। श्रीमती स्वराज द्वारा सुझाए गए किसी भी नाम पर विचार नहीं किया गया।

श्री पी. पी. राव आदरणीय व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री के अड़े रहने के कारण ही किसी अन्य नाम पर विचार नहीं किया जा सका और सरकार की दिलचस्पी केवल पी. पी. राव में ही थी जिससे मुझे उसके इरादों पर संदेह होता है। कोलेजियम में किसी मुख्य न्यायाधीश अथवा उसके द्वारा मनोनीत न्यायाधीश के होने का मकसद संतुलन बनाए रखना है। आमतौर पर अलग–अलग राय को देखते हुए, मनोनीत न्यायाधीश से उम्मीद की जा रही थी कि वे कुछ उत्कृष्ट नाम सामने रखेंगे जो सभी लोगों को स्वीकार्य हों। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री के रुप में डा. सिंह का कार्यकाल जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। विभिन्न संस्थानों में अनेक सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां करके उन्होंने कोलेजियम को नुकसान पहुंचाया। उन लोगों में से एक होने के कारण जो लोकपाल कानून का मसौदा तैयार करने में सक्रिय रुप से शामिल थे, मैंने आत्म मंथन करना शुरु किया कि क्या लोकपाल की नियुक्ति को उलटने के लिए कोलेजियम व्यवस्था को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इसकी नियुक्ति से पहले ही लोकपाल जैसी संस्था को नुकसान पहुंचाया है।

★★★★★